इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 548] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 19, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2013 (अग्रहायण 19, 1935)

क्र. 21803-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश की त्रयोदश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 52-बिजावर से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती आशारानी के विरुद्ध दाखिल सत्र प्रकरण क्रमांक 334/2010, पर सप्तम् अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा अपराध सिद्ध होने के फलस्वरूप दिनांक 31 अक्टूबर 2013 को 10 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने से दंडित किये जाने के कारण, मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जुलाई 2013 के पालन में संविधान के अनुच्छेद 191(1) (ङ) सहपठित धारा 8 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत श्रीमती आशारानी उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 31 अक्टूबर 2013 से विधान सभा की सदस्यता हेतु निरर्हित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.